



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35792

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2430 वर्ष 2026

अर्जुन सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	:	अजय कुमार श्रीवास्तव, संदीप कुमार
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय द्वारा यह कथन किया गया कि उन्हें प्रकरण के संबंध में समुचित निर्देश प्राप्त हैं तथा वे वाद की बहस हेतु पूर्णतः सक्षम हैं। उन्होंने प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं किया तथा यह भी निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही रिट याचिका का निस्तारण किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारम्भिक चरण में ही किया जा रहा है।
4. याची का कथन है कि उसे दिनांक 04.03.1991 को हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया तथा दिनांक 06.02.1996 को वाहन चालक के पद पर पदोन्नत किया गया। शासनादेश के अनुसार 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वाहन चालकों को ग्रेड-III, 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड-II तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासनादेश दिनांक 29.04.2011 के तहत अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान था। याची को दिनांक 13.10.2011 के आदेश द्वारा दिनांक 11.05.2006 से रुपये 5200-20200 के वेतनमान में ग्रेड पे 2400 सहित ग्रेड-2 का लाभ प्रदान किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.11.2011 को वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश निर्गत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया गया तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर याची को रुपये 9300-34800 का वेतनमान प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में पुनः वेतन निर्धारण किया गया। याची के अनुसार, उसे समय-समय पर उपर्युक्त लाभ प्रदान किए गए तथा वह दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हुआ, तथापि दिनांक 30.07.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार वेतन/वेतनमान का पुनर्निर्धारण इस आधार पर किया गया कि याची को ऐसे लाभ प्रदान किए गए थे जिनका वह अधिकारी नहीं था। इसके उपरांत दिनांक 14.08.2025 को अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जालौन, उरई द्वारा रुपये 2,89,761/- की वसूली हेतु आदेश पारित किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 29.12.2025 को सेवानिवृत्ति उपरांत देयकों से उक्त राशि की कटौती एवं वसूली का आदेश पारित किया गया।

5. उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेश स्पष्टतः अवैध, विधि के प्रतिकूल एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें एकतरफा रूप से, याची को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, पारित किया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात इस प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह धोखाधड़ी, तथ्य-गोपन अथवा मिथ्या प्रतिपादन का मामला नहीं है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **राज्य पंजाब बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), (2015) 4 एस.सी.सी. 334** तथा **थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2022) लाइव लॉ (एस.सी.) 438** पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

7. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय का कथन है कि यद्यपि त्रुटियों का संशोधन एवं राशि की वसूली करना प्रत्यर्थीगण के लिए सदैव संभव है, तथापि शिष्टाचार एवं विधिक औचित्य की दृष्टि से याची को पूर्व में सूचना प्रदान किया जाना अपेक्षित था।

8. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि याची को कोई नोटिस प्रदान किया गया था। साथ ही यह भी परिलक्षित नहीं होता कि यह प्रकरण धोखाधड़ी, तथ्य-गोपन अथवा मिथ्या प्रतिपादन से संबंधित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है—

(क) याची दिनांक 27.02.2026 तक एक सम्यक अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति एवं इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जालौन, उरई के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 4, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जालौन, उरई द्वारा मार्च 2026 के तृतीय सप्ताह तक कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाएगा।

(ग) याची उक्त नोटिस का उत्तर दो सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात दो माह की अतिरिक्त अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

(घ) नवीन आदेश पारित होने तक याची से कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा यदि कोई वसूली की जा चुकी है तो वह भावी आदेश के अधीन रहेगी।

(ङ) आज पारित आदेश के लाभ केवल उसी स्थिति में याची को प्राप्त होंगे जब वह इस आदेश में निहित शर्तों का अनुपालन करेगा।

10. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 18 फरवरी 2026

एन.एस. राठौर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”